न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
12/2012/प्रा.पत्र/2012	14.05.2012	26.07.2022

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
..... प्रार्थी

बनाम

1–श्री लोकेश कुमार जैन पुत्र श्री बाबू लाल जैन विक्रेता मैसर्स लोकेश एण्ड कम्पनी, बस स्टैण्ड के पास उनियारा निवासी वार्ड नं. 15 सदर बाजार उनियारा जिला टोंक
..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व (iii) एफएसएसए एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उप.।

2–अप्रार्थी उपस्थित एवं उनके अभिभाषक श्री विक्रम जैन अनुपस्थित।

:–निर्णय–: दिनांक 26.07.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.10.2011 को समय 11:00 एएम पर मैसर्स लोकेश एण्ड कम्पनी, बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ पर श्री लोकेश कुमार जैन पुत्र श्री बाबू लाल जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री लोकेश कुमार जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का विक्रेता एवं मालिक होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र नहीं होना स्वीकार किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान की रैक में **सुगर कन्फैक्शनरी (बर्फी पेडा)** के 678 ग्राम के लगभग 10 प्लास्टिक डिब्बों में सील पैक किये हुये रखे हुये थे, जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री लोकेश कुमार जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर. एफ.बी.ओ को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री लोकेश कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **सुगर कन्फैक्शनरी (बर्फी पेडा)**, को वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 678–678 ग्राम के चार डिब्बे खरीदे जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **सुगर कन्फैक्शनरी (बर्फी पेडा)** चार पैकेट के चार भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–137 एवं पूर्ण विवरण अकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता श्री लोकेश कुमार जैन तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–137 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

व रेपर दोनों पर आये चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक द्वारा मोके पर बिल मांगे जाने पर श्री लोकेश कुमार जैन ने उक्त खाद्य पदार्थ का कोई बिल पेश नहीं किया जिस पर आवेदक ने अपने कार्यालय से भी पत्र प्रेषित कर बिल मांगा परन्तु विक्रेता श्री लोकेश कुमार जैन ने कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./11/4075 दिनांक 25.11.2011 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट स. एल.एस./42/एफएसएसए/2011/42 दिनांक 31.10.2011 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया गया **सुगर कन्फैक्शनरी (बर्फी पेडा) मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता/फर्म के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री विक्रम जैन एडवोकेट ने दिनांक 27.12.2012 को वकालतनामा पेश कर जबाव हेतु समय चाहा परन्तु कई अवसर देने के बावजूद भी अभिभाषक द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। आज अप्रार्थी स्वयं न्यायालय हाजा में उपस्थित हुआ, बहस की एवं अपना जुर्म स्वीकार किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **सुगर कन्फैक्शनरी (बर्फी पेडा)** का विकय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **सुगर कन्फैक्शनरी (बर्फी पेडा)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 व 63 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर शास्ति रूपये 1,50,000/–(अक्षरे एक लाख पचास हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 26.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश क रें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज 26.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक